



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बिक्री/व्यापार कर पुनरीक्षण दोषपूर्ण सं. - 9 वर्ष 2026

आयुक्त, राज्य कर, उ. प्र., लखनऊ

..... पुनरीक्षणार्थी (गण)

बनाम

सर्वश्री प्रेम राइस उद्योग बंगौनवा
द्वारा इसके डीलर अनूप कुमार जैन

..... विरोधी पक्षकार (गण)

पुनरीक्षणार्थी (गण) के अधिवक्ता : मु.स्था.अ.

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. -5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

सिविल प्रकी. (विलंब माफी) आवेदन सं. 1 वर्ष 2026 पर आदेश

1. आवेदक/पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान पुनरीक्षण के माध्यम से, राज्य ने वाणिज्यिक कर अधिकरण, लखनऊ पीठ- III,

लखनऊ (एतदपश्चात् "अधिकरण" के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा द्वितीय अपील सं. 83 वर्ष

2024, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 में, वैट अधिनियम की धारा 28(2)(I) के अधीन पारित

निर्णय और आदेश दिनांक 27.12.2024 को चुनौती दी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि वर्तमान पुनरीक्षण 300 दिन के विलंब से दाखिल किया गया है, और वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल करने में कारित विलंब के कारण बताते हुए एक शपथपत्र के साथ, विलंब माफी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के अनुसार, अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.12.2024 की जांच उप-आयुक्त, राज्य कर, पीठ-III द्वारा की गई थी, जिन्होंने 15.04.2025 को एक प्रस्ताव भेजा था, और उसके पश्चात् ही उक्त मामले में विधिक राय प्राप्त करने के लिए आदेश पारित किए गए थे। उक्त राय विद्वान् स्थायी अधिवक्ता द्वारा 8.5.2025 को प्रस्तुत की गई थी, और राज्य सरकार के विधि विभाग ने 04.06.2025 को पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए अपनी अनुमति दी थी। इसके पश्चात्, मामला इस न्यायालय के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता को निर्दिष्ट किया गया था, और तत्पश्चात्, फरवरी, 2026 के महीने में पुनरीक्षण तैयार किया गया था।

5. उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, यह न्यायालय पाता है कि प्रत्येक उस प्रक्रम पर, जहां पत्रावली की प्रक्रिया पूरी की गई है, अधिक अस्पष्टीकृत विलंब कारित किया गया है। आरंभ से ही, विधिक राय लेने के लिए मामला भेजने में तीन महीने लग गए थे, और प्रत्येक प्रक्रम पर 2-3 महीने का समय लगा था, और अंत में, जब पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए पूरी सामग्री

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान् स्थायी अधिवक्ता को भेज दी गई थी, तब भी 5 महीने से अधिक की विलंब हुआ था।

6. विलंब के इस पहलू पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिवाम्मा (मृत) द्वारा वि.प्र. बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य, 2025 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1969 के वाद में सम्यक् रूप से विचार किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:

"138. जब विधि का कोई न्यायालय, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब को क्षमा करने के लिए दाखिल किसी आवेदन पर विचार करता है, तो ऐसे आवेदन को सामान्य तौर पर पक्षकारों के बीच सारवान् न्याय सुनिश्चित करने के लिए उदार और नरम दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उदारतापूर्वक अर्थान्वयन और लागू किया जाना चाहिए, जिससे सारवान् न्याय किया जा सके। यह निस्संदेह सत्य है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन का विनिश्चय करते समय न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण आवश्यक है। तथापि, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक वाद में विलंब को अनिवार्य रूप से क्षमा किया ही जाना चाहिए। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के लिए यह एक पूर्ववर्ती शर्त है कि विलंब को क्षमा करने हेतु कोई 'पर्याप्त कारण' अवश्य होना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



139. तथापि, जहां एक ओर सारवान् न्याय किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर परिसीमा की विधि भी समान रूप से बाध्यकारी है, और 'पर्याप्त कारण' को कोरे रूप में नहीं, बल्कि सारतः दर्शित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय और निश्चितता के बीच संतुलन, अयोग्य वादकारियों के पक्ष में न झुक जाए।

140. तथापि, इसी के साथ, न्यायालयों को इस बात के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि गुणावगुण पर वाद सुदृढ़ होना, विलंब को क्षमा करने का कोई आधार नहीं है। जब विलंब को क्षमा करने हेतु कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो जांच केवल इस बात तक सीमित रहती है कि क्या परिसीमा की विहित अवधि के भीतर अपील या कार्यवाही दाखिल न करने के लिए कोई 'पर्याप्त कारण' दर्शित किया गया है? वाद में अंतर्निहित गुणावगुण, इस जांच से पूर्णतः बाहर है। यदि न्यायालय इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर विचार करेगा, तो इससे प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्न और सारवान् न्यायनिर्णयन के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे न्यायिक जांच के दो भिन्न प्रक्रम आपस में मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रयोजन यह निर्धारित करना नहीं है कि क्या दावा वैध है या तथ्यात्मक रूप से सुदृढ़ है, बल्कि केवल यह है कि क्या आवेदक के पास विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



141. 'पर्याप्त कारण' का परीक्षण, वाद के गणावगुण की परीक्षा से प्रत्यास्थापित नहीं किया जा सकता है। विलंब की माफी, वाद में सफलता की संभावनाओं पर नहीं बल्कि, विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित एक विवेकाधिकार का मामला है। यदि गणावगुण पर विचार किया जाता है, तो एक सुदृढ़ वाद का वादकारी उपेक्षा के बाद भी माफी का लाभ पा सकता है, जबकि एक कमजोर वाद को, भले ही पर्याप्त कारण स्पष्ट किया जाता है, निरस्त किया जा सकता है। इससे विधि का असम्यक्पूर्ण और असंगत प्रवर्तन होगा, जो उस एकसमान मानक को अनदेखा करेगा, जिसे बनाए रखने के लिए परिसीमा का सिद्धांत बनाया गया है।"

7. उपर्युक्त निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पर्याप्त कारण पर विचार करना केवल एक प्रारंभिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि विलंब माफ करने के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए और न्यायालय को विलंब माफ करने से पहले अपनी संतुष्टि अभिलिखित करनी चाहिए। तदनुसार, उपर्युक्त निर्णय के परीक्षण पर, यह न्यायालय पाता है कि याची ने पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करवाने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

8. यह न्यायालय अग्रतर पाता है कि इस मामले में विलंब 578 दिन का है, जो कि अत्यधिक लंबा समय है, और शिवाम्मा (उपर्युक्त) के निर्णय के अनुसार, विलंब माफ करने के लिए, विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में पर्याप्त कारण दिया जाना चाहिए था।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. तदनुसार, उपर्युक्त कारणों से, यह न्यायालय पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का कोई आधार नहीं पाता है, इसलिए, विलंब माफी का आवेदन खारिज किया जाता है।

बिक्री/व्यापार कर पुनरीक्षण पर आदेश

1. यह देखा गया है कि वर्तमान वाद में अंतर्ग्रस्त कर-राशि ₹ 2,14,977/- है, और यह आश्चर्यजनक है कि इतनी राशि के लिए राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देना उचित समझा है।

2. इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि पिछले 12 वर्ष से अधिक समय से राज्य सरकार द्वारा कोई नई वाद-नीति सम्मिलित नहीं की गई है, जिसके कारण छोटी-राशि वाले अनेक मामलों को राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

3. इस न्यायालय के समक्ष इतनी छोटी कर-राशि को चुनौती देने के राज्य सरकार के निर्णय के प्रकाश में, यह न्यायालय की सुविचारित राय है कि राज्य सरकार को ऐसा विनिश्चय करने से पहले कर-प्रभाव की मात्रा पर विचार करना चाहिए।

क्योंकि, विलंब माफी का आवेदन खारिज कर दिया गया है, तदनुसार, वर्तमान समय-वर्जित

बिक्री/व्यापार कर पुनरीक्षण भी **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मार्च 25, 2026

ए. वर्मा

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”